

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

संचिका सं०-स्था-02/03-01/2015

589

/पटना, दिनांक

21-03-16

प्रेषक,

नोडल पदाधिकारी (बजट),

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,

बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 में आवंटित राशि का शीर्षवार प्रत्यार्पण प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 10-11 मार्च 2016 को आयोजित राज्यस्तरीय कृषि सांख्यिकी प्रशिक्षण के दौरान आवश्यक निदेश के साथ प्रत्यार्पण प्रतिवेदन का विहित प्रपत्र आप सभी को उपलब्ध करा दिया गया है। विदित हो कि कई जिला सांख्यिकी कार्यालय से वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त उपशीर्ष 0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना का कई प्रत्यार्पण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जबकि किसी भी शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त सभी आवंटनों को शीर्षवार समेकित करते हुए एक शीर्ष का एक ही प्रत्यार्पण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि मुख्य शीर्ष-3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के अन्तर्गत विभिन्न उप शीर्षों योजना/गैर योजना तथा केन्द्रीय योजनागत योजना का शीर्षवार प्रत्यार्पण प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में दिनांक 31.03.2016 तक विशेष दूत (सुयोग्य कर्मी) द्वारा निदेशालय के बजट शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि प्रत्यार्पण प्रतिवेदन वित्त विभाग महालेखाकार बिहार, पटना को ससमय प्रेषित किया जा सके।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन


21.3.2016
नोडल पदाधिकारी


21/3/16

विहित पत्र

वित्तीय वर्ष 2015-16

गैर योजना/केन्द्रीय योजनागत योजना/राज्य योजना

कार्यालय का नाम:-

आहरण/व्ययन पदाधिकारी का टेलीफोन एवं दूरभाष संख्या

मुख्य शीर्ष उप मुख्य शीर्ष लघुशीर्ष उप शीर्ष

विपत्र कोड:-.....

क्र. सं.	विषय कोड	विषय शीर्ष	कुल प्राप्त आवंटन	दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक वास्तविक व्यय	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	2		3	4	5	6
2	01-01	वेतन				
2	01-02	विशेष वेतन				
3	01-03	जीवन यापन भत्ता				
4	01-04	मकान भाड़ा भत्ता				
5	01-05	परिवहन भत्ता				
6	01-06	चिकित्सा भत्ता				
7	01-07	अन्य भत्ता				
कुल योग:-						
8	06-01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति				
9	11-01	यात्रा व्यय				
10	13-01	कार्यालय व्यय				
11	13-02	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव				
12	13-03	दूरभाष				
13	13-04	विद्युत प्रभार				
14	13-05	विधि प्रभार				
15	13-06	वर्दी/पोशाक				
16	14-01	किराया महसूल एवं कर				
17	16-01	प्रकाशन एवं मुद्रण				
18	20-02	कॉफेन्स, कार्यशाला एवं सेमिनार				
19	20-03	प्रशिक्षण व्यय				
20	28-01	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं				
21	52-01	मशीनें एवं उपस्कर				
कुल योग:-						

नोट:- उपरोक्त विषय शीर्ष के अलावे यदि अन्य मदों में राशि आवंटित की गई हो तो उसे जोड़ते हुए, एक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त सभी आवंटनों को समेकित कर एक ही प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजा जाय।

पदाधिकारी का हस्ताक्षर